संख्या-73/2018/2495/22-2-2017-17(138)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 जनवरी, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री रजपाल निवासी जनपद-कानपुर देहात की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34330/प्रोबे0-2(17)/(एम0-02.05.2017 दिनांक-21.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री रजपाल, जो मंगटा, थाना-गजनेर, जनपद-कानपुर देहात का रहने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही मुकदमें एवं रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 16-08-1982 को प्रात: लगभग 10:00 बजे कट्टा व लाठी से मारकर 01 व्यकित की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-265/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, के अन्तर्गत मा0 अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 07.07.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2002 द्वारा बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.11.2016 तक 21 वर्ष 08 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 07 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा कट्टा व लाठी से मारकर 01 व्यकित की हत्या कर जगघन्य अपराध कारित किया गया। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री राजपाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी ओम प्रकाश (बन्दी संख्या-15126) पुत्र श्री रजपाल निवासी जनपद-कानपुर देहात की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-73/2018/2495/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।